प्री एम.सी.ए. टेस्ट–2010

के आधार पर

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित

विश्वविद्यालयीन एम.सी.ए. संस्था तथा

निजी क्षेत्र की संस्थाओं के

एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में

सत्र 2010–2011 में

प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम

तकनीकी शिक्षा संचालनालय छत्तीसगढ़ बायरन बाजार रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 2331330,2331331,2421376

website www.cgdteraipur.ac.in

महत्वपूर्ण निर्देश

अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता प्री.एम.सी.ए. का फार्म भरते समय नहीं होती । इन दस्तावेजों की मूल प्रति की आवश्यकता काउंसिलिंग के समय होती है अतः काउंसिलिंग के समय उपरोक्त दस्तावेजो की मूल प्रति आवश्यक रूप से साथ में लावें । निम्नलिखित दस्तावेज पहले से ही बनवा लें ताकि काउंसिलिंग के समय असुविधा न हो ।

- निवास प्रमाणपत्र
- स्थायी जाति प्रमाणपत्र (अस्थायी स्वीकार्य नहीं)
- जाति सत्यापन प्रमाणपत्र (आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर/ अधिकृत कार्यालय से)
- दसवीं की अंकसूची (जन्म तिथि प्रमाण हेतु)
- अर्हकारी स्नातक परीक्षा की मूल अंकसूची
- काउंसिलिंग के दिन काउंसिलिंग फार्म क्रमांक–9 जो कि इस नियम पुस्तिका में संलग्न है भरकर तथा नियत स्थान पर फोटो चिपका कर साथ लायें ।
- निःशक्तता से बाधित होने संबंधी प्रमाणपत्र– संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड एवं अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दाना गोदाम मोटर स्टेन्ड, नेपियर टाउन जबलपुर द्वारा जारी हो (उपरोक्त दोनो अधिकारियों से जारी प्रमाण पत्र आवश्यक है)
- काउंसिलिंग कार्यक्रम एवं रिक्त सीटों की अद्यतन जानकारी हेतु संचालनालय तकनीकी शिक्षा की अधिकृत वेबसाइट– www.cgdteraipur.ac.in का अवलोकन करें ।
- इस वर्ष ऑन लाइन काउंसिलिंग कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है यदि ऑन लाइन काउंसिलिंग करायी जाती है तो इसकी प्रक्रिया समाचार पत्रों में अलग से दी जायेगी ।
- काउंसिलिंग सामान्यतया अगस्त–सितंबर के माह में होती है परंतु इसमें परिवर्तन हो सकता है । कृपया समाचार पत्रों का नियमित अवलोकन करते रहें, इसके लिये कॉल लेटर नहीं भेजा जायेगा ।

अध्याय–2

छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008 में निहित निर्देशों के पालन में निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में संचालित एम.सी.ए. उपाधि पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में सत्र 2010–2011 में प्रवेश राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा प्री–मास्टर इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट (प्री.एम.सी.ए.) – 2010 के मेरिट के आधार पर होंगे ।

प्री.एम.सी.ए. – 2010 के आधार पर ही छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित विश्वविद्यालयीन संस्था में संचालित एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में भी प्रवेश होंगे । एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये प्री.एम.सी.ए. परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है । निजी संस्था की छ.ग. राज्य कोटा 75 प्रतिशत, अन्य राज्य कोटा 10 प्रतिशत एवं मेनेजमेंट कोटा 15 प्रतिशत को भी सी.जी. प्री–एम.सी.ए. के आधार पर ही भरा जायेगा । अतः छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी के साथ–साथ अन्य राज्य के छात्र भी जो इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक हैं आवश्यक रूप से प्री.एम.सी.ए. परीक्षा में सम्मिलित हों ।

प्री.एम.सी.ए. परीक्षा का आयोजन छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा किया जायेगा । इस परीक्षा के आधार पर विभिन्न संस्थाओं में प्रवेश की कार्यवाही काउंसिलिंग के माध्यम से किये जायेंगे । इस हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं :–

2.1 संक्षिप्त नाम :–

ये नियम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदित विश्वविद्यालयीन संस्थाओं, निजी क्षेत्र की संस्थाओं के 'एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम – 2010' कहलायेंगे ।

2.2 विस्तार :–

ये नियम उन संस्थाओं पर लागू होंगे जो एम.सी.ए. पाठ्यक्रम संचालित करते हैं एवं उन अभ्यर्थियों पर लागू होंगे जो, तीन वर्षीय एम.सी.ए. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में राज्य के विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में तथा निजी क्षेत्र की अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली से अनुमोदित संस्थाओं में प्रवेश के इच्छुक हैं ।

2.3 परिभाषाएं– इन नियमों में, जहां तक गद्यांश में शब्दों का तात्पर्य अन्यथा न हो –

1. 'प्रवर्ग' का तात्पर्य है अनुसूचित जाति प्रवर्ग (SC- Scheduled Caste), अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग (ST. Scheduled Tribe) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC- Other Backward Class) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) जो इन तीनों प्रवर्ग में नहीं आता उसे अनारक्षित प्रवर्ग (UR- Un Reserved) माना जायेगा । 'व्या.प.म.' का तात्पर्य है 'छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल' छत्तीसगढ़ रायपुर ।

2. 'सक्षम प्राधिकारी' (स.प्रा.) का अभिप्रेत है ऐसा आधिकारी जिसे राज्य शासन द्वारा काउंसिलिंग कार्य हेतु सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है ।

4. 'प्राचार्य' का तात्पर्य है संस्था प्रमुख ।

5. 'छत्तीसगढ़' का तात्पर्य है छत्तीसगढ़ राज्य जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दिनांक 01.11.2000 को अस्तित्व में आया ।

6. 'अ.भा.त.शि.प.' का तात्पर्य है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली ।

7. 'संचालक' का तात्पर्य है संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर ।

8. 'अभ्यर्थी' या 'उम्मीदवार' से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इन नियमों के अंर्तगत प्रवेश हेतु इच्छुक है

9. 'वर्ग' से अभिप्रेत है *'निःशक्तता से बाधितवर्ग* वर्ग' जो इस वर्ग में नहीं आता उसे 'बिना वर्ग' माना जायेगा ।

2.4 (अ) कोटा का निर्धारण – विभिन्न संस्थाओं की सीटों को 03 प्रकार के कोटा में विभाजित किया गया है :–

विवरण	सत्र 2010–11 से कोटा का प्रतिशत		
	CG	OS	MGT
निजी संस्थायें	75	10	15
विश्वविद्यालयीन संस्थायें	90	10	–

(1) छत्तीसगढ़ राज्य कोटा (C.G. Quota) :– इस कोटा के अंतर्गत केवल छ.ग. के मूल निवासी छात्र प्रवेश के पात्र होंगे । तथापि छ.ग. राज्य के मूल निवासी उपलब्ध न होने पर इसे आवश्यकतानुसार अन्य राज्य कोटा में परिवर्तन किया जा सकता है । इस कोटे पर प्रवेश प्री.एम.सी.ए. – 2010 की मेरिट के आधार पर होंगे एवं प्रवेश की कार्यवाही केन्द्रीय काउंसिलिंग द्वारा संचालनालय द्वारा की जायेगी ।

(2) अन्य राज्य कोटा (Other State Quota) :– इस कोटे के अंतर्गत केवल अन्य राज्य के अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे । तथापि अन्य राज्य के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इसे आवश्यकतानुसार छ.ग. राज्य कोटा में परिवर्तन किया जा सकता है । इस कोटे पर भी प्रवेश प्री.एम.सी.ए. – 2010 के मेरिट के आधार पर होंगे एवं प्रवेश की कार्यवाही केन्द्रीय काउंसिलिंग द्वारा संचालनालय द्वारा की जायेगी ।

(3) मेनेजमेंट कोटा (Mngt. Quota) :– इस कोटे के अंतर्गत छ.ग. राज्य के साथ ही साथ अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी प्रवेश हेतु पात्र हैं । इस कोटे पर भी प्रवेश प्री.एम.सी.ए. – 2010 के मेरिट के आधार पर संस्था स्तर पर होंगे ।

2.4 (ब) प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थान–

एम.सी.ए. पाठ्यक्रम की संस्थाएं एवं उनमें प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों की श्रेणीवार जानकारी तालिका क्र. 1 में दर्शाई गई है । तालिका 2 में विश्वविद्यालयीन संस्था में आरक्षण की जानकारी दी गई है ।

यदि किसी नवीन संस्था के लिए काउंसिलिंग के दौरान ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदन प्राप्त होता है तो उसे काउंसिलिंग में सम्मिलित किया जा सकता है ।

2.5 सीटों का आरक्षण–

2.5.1 उर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग प्रवर्गों के लिए–

विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़ कर) प्रवर्गों के लिए क्रमशः 15, 21 एवं 14 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण किया गया है तथा ऐसी आरक्षित सीटों की संख्या तालिका 2 में दी गई है । शेष 50 प्रतिशत सीटें अनारक्षित (UR) रहेंगी । इन अनारक्षित सीटों पर मेरिट के आधार पर किसी भी प्रवर्ग का (SC/ST/OBC/GEN) अभ्यर्थी प्रवेश पा सकता है ।

निजी संस्थाओं में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है ।

ऐसा अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़ा वर्ग (*क्रीमी लेयर* को छोड़ कर) प्रवर्ग में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है उसे समय समय पर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आरक्षण संबंधी नियमों एवं/ अथवा निर्देशों में विहित सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित श्रेणी में प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी तथापि मेरिट के आधार पर अनारक्षित सीट पर प्रवेश की पात्रता रहेगी ।

आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को जाति सत्यापन प्रमाण पत्र पृथक से जमा करना आवश्यक है । जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रायपुर से होना है । जाति सत्यापन काउंसिलिंग से पूर्व कराना आवश्यक है । ताकि काउंसिलिंग के समय असुविधा न हो । जाति सत्यापन के लिए निम्न दस्तावेजो की आवश्यकता होती है –

1. स्थायी जाति प्रमाणपत्र   2. मिसल रिकार्ड   3. वंशावली की जानकारी आदि

पूर्ण जानकारी के लिये उपरोक्त कार्यालय के दूरभाष–0771–2262606,2262633 पर संपर्क किया जा सकता है

टिप्पणी –

(अ) विभिन्न आरक्षित प्रवर्गों में से अभ्यर्थी केवल एक ही प्रवर्ग में आरक्षण का दावा कर सकता है

(ब) जिस प्रवर्ग में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

(स) उम्मीदवार द्वारा प्रवर्ग तथा वर्ग में आरक्षण हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के बाद किसी भी स्थिति में उसे निरस्त या उसमें परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।

2.5.2 क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये

विश्वविद्यालयीन संस्थाओं की सीटों में प्रत्येक प्रवर्ग हेतु आरक्षित सीटों एवं अनारक्षित सीटों के विरूद्ध पुनः *निःशक्तता से बाधित वर्ग* के उम्मीदवारों के लिए 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं । ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा तालिका 2 में दिया गया है ।

टिप्पणी– इन स्थानों के विरूद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवारों को जिला चिकित्सा मण्डल तथा अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नैपियर टाउन जबलपुर द्वारा जारी पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। निःशक्तता 40 प्रतिशत या अधिक होने पर ही मान्य होगा । इस लिए पहले से दोनो प्रमाणपत्र अभ्यर्थी बनवा लें । काउंसिलिंग के समय यदि उपरिवर्णित दोनो प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो किसी भी स्थिति में समय नहीं दिया जायेगा ।

2.5.3 **महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षण–** विश्वविद्यालयीन संस्थाओं की छत्तीसगढ़ कोटे की सीटों में प्रत्येक वर्टिकल श्रेणी में होरिजोन्टल वर्ग के अंतर्गत महिला उम्मीदवारों के लिए 30 प्रतिशत सीटों का आरक्षण उपलब्ध रहेगा ।

किसी भी वर्टिकल या उसके अंतर्गत होरिजोन्टल वर्ग मे महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उस प्रवर्ग की पात्रता के पुरूष उम्मीदवार को प्रवेश दिया जावेगा (किन्तु महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान अन्य प्रवर्ग में समायोजित नहीं किये जावेंगे) ।

काउंसिलिंग के समय विभिन्न उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आबंटन का क्रम निम्नानुसार रहेगा

1. उर्ध्वाधर आरक्षण :– सबसे पहले अनारक्षित सीटों को भरा जायेगा एवं यदि कोई आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर अनारक्षित श्रेणी की सीट मिल जाती है तो उसे अनारक्षित की सीट ही दी जायेगी एवं यह सीट आरक्षित श्रेणी से कम नहीं की जायेगी ।
2. क्षैतिज आरक्षण :– इस प्रक्रिया में सबसे पहले आरक्षित सीट का आबंटन किया जायेगा । जब तक कि क्षैतिज आरक्षण का कोटा पूरा न हो जाये । तत्पश्चात् बिना वर्ग के अभ्यर्थियों का आबंटन किया जायेगा ।
3. उर्ध्वाधर आरक्षण के पश्चात् शेष बच गई अनारक्षित सीट के किसी वर्ग विशेष जैसे Handicap के लिये आरक्षित सीट को मेरिट के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग जैसे SC/ST/OBC के उसी वर्ग के अभ्यर्थी को पहले आबंटित की जा सकती है ।
4. आरक्षित प्रवर्ग के सीटों जो क्षैतिज आरक्षण के कारण Handicap के लिये आरक्षित हैं यदि इन वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो इन वर्ग के सीटों को उसी प्रवर्ग के बिना वर्ग के अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर आबंटित किया जायेगा । इसे अन्य आरक्षित श्रेणी के आरक्षित वर्ग के लिये समायोजित नहीं किया जायेगा ।

2.5.4. जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग

1 जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित व्यक्ति के पुत्र/पुत्रियों के लिये विश्वविद्यालयीन एवं निजी क्षेत्र के संस्थाओं में एक–एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त आरक्षित है । इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को संबंधित जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से निर्धारित प्रारूप 7 में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा । जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापितों के पुत्र/पुत्रियों को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य नहीं है ।

2 इसी वर्ग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को, जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी । ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप 8 में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।

नोटः– जम्मू काश्मीर राज्य के विस्थापित जम्मू काश्मीर राज्य के लिये आरक्षित सीटों पर प्रवेश हेतु प्री.एम.सी.ए.–2010 में सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं है ।

2.6 प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें–

2.6.1 शैक्षणिक अर्हता–

एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय अथवा विदेशी विश्वविद्यालय अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी संकाय में स्नातक उपाधि (अथवा समतुल्य) उत्तीर्ण होना आवश्यक है । स्नातक उपाधि 03 वर्ष की तथा स्नातक स्तर पर अथवा 12वीं स्तर पर एक विषय गणित (Mathematics) के रूप में होना अनिवार्य है । अनुत्तीर्ण अथवा पूरक/कम्पार्टमेंट अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी ।

गणित से संबंधित गणित के अन्य विषय जैसे :– बिजनेस गणित (Business Mathematics), बेसिक गणित (Basic Mathematics) आदि मान्य नहीं किये जायेंगे । तथापि गणित के उच्च विषय जैसे :– उच्च गणित (Higher Mathematics/Advanced Mathematics) मान्य किये जायेंगे । जो अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.सी.ए. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर चुके हैं उनके लिये गणित विषय की अनिवार्यता से छूट है

2.6.2 छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी होने की आवश्यकता

विश्वविद्यालयीन एवं निजी संस्थानों के छत्तीसगढ़ कोटे की सीटों में केवल ऐसे अभ्यर्थियों का ***(कंडिका 2.5.4** के तहत जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग के अभ्यर्थियों को छोड़कर)* प्रवेश हेतु चयन के लिए पात्रता होगी जो छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी हो ।

अन्य राज्य कोटा एवं मेनेजमेंट कोटा में प्रवेश के लिये छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है ।

छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी छत्तीसगढ़ राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये निर्देशों के अंतर्गत यथापरिभाषित होगा एवं नीचे अन्यथा वर्णित को छोड़ सभी अभ्यर्थियों को तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार अथवा वरिष्ठतर अन्य सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा समय–समय पर राज्य शासन के निर्देशों के तहत जारी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र ***(प्रारूप–3)*** के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है । इस प्रमाण पत्र में प्रकरण क्रमाक, जारी करने की तिथि व न्यायालय/कार्यालय की सील, जारीकर्ता अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है ।

छत्तीसगढ़ शासन के सार्वजनिक उपक्रमों, अर्धशासकीय निकायों तथा छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासनों के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों के राज्य में या राज्य के बाहर पदस्थ होने पर तथा प्रारूप 4 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी संतानों को स्थानीय निवासी मान कर प्रवेश की पात्रता होगी ।

भारत सरकार के कार्मिकों, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के कार्मिकों एवं केन्द्रीय अर्धशासकीय निकायों में कार्यरत कार्मिकों के छत्तीसगढ़ राज्य में इन नियमों के तहत आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि के पूर्व पदस्थ होने पर तथा प्रारूप 5 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी संतानों को भी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी मान कर प्रवेश की पात्रता होगी ।

भारत शासन/छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित पिता/माता के सन्तान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी माने जायेंगे । ऐसे पुनर्व्यवस्थापित पिता/माता की सन्तानों को प्रारूप 6 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

अभिभावक की परिभाषा :

अभिभावकों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट) की राय में आवेदक के पिता और माता दोनों की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनो का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो । अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । यदि अभ्यर्थी के पिता जीवित न हो परंतु माता जीवित हों तो माता को ही अभ्यर्थी का स्वाभाविक अभिभावक माना जाएगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी ।

दत्तक संतान के विषय में स्पष्टीकरण :

दत्तक संतानों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित प्रवर्ग में दत्तक संतान के आधार पर प्रवेश चाहे तो उसे दत्तक संतान होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिये आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व निष्पादित वैध दत्तकनामा (अॅडॉप्शन डीड) होगा, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जाएगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक अथवा गत पांच वर्षो में आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है । इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये उपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता/माता का नाम ही केवल मान्य होगा । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदको के मामलों में आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहें हों । ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किन्ही अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होगें ।

2.6.3 **आयु सीमा**

एम.सी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु दिनांक 01.07.2010 को अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष है । छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/विकलांग विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में अधिकतम 03 वर्ष की छूट रहेगी ।

आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों पर लागू नहीं होगा ।

2.7 **प्रवेश हेतु चयन पद्धति –**

2.7.1 **प्रतियोगी परीक्षा – प्री.एम.सी.ए.**

एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा गणित, कम्प्यूटर अवेयरनेस, एनाटिकल एबेलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग तथा जनरल अवेयरनेस विषय पर एक प्रवेश परीक्षा प्री एम.सी.ए. टेस्ट 2010 आयोजित की जाएगी । प्रवेश के इच्छुक

अभ्यर्थियों को प्री.एम.सी.ए. परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है । अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी संस्थाओं की अन्य राज्य कोटा एवं मेनेजमेंट कोटा की सीटों में प्रवेश लेना चाहते हैं । उन्हें भी इस चयन परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है ।

2.7.2 मेरिट कम का निर्धारण–

अभ्यर्थी द्वारा गणित, कम्प्यूटर अवेयरनेस, एनाटिकल एबेलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग तथा जनरल अवेयरनेस में प्राप्त अंको के प्रतिशत के आधार पर कम्बाईंड मेरिट सूची, प्रवर्गवार मेरिट सूचियां तैयार की जावेगी इन योग्यता क्रम सूचियों से उम्मीदवारों के प्रवेश एम.सी.ए. में परामर्श (काउंसिलिंग) द्वारा किये जायेंगे ।

मेरिट सूची में उम्मीदवारों का समान प्रतिशत होने पर अधिक प्राप्तांको के आधार पर निम्न क्रमानुसार मेरिट का निर्धारण किया जावेगा –

(1) गणित (2) कम्प्यूटर अवेयरनेस (3) एनाटिकल एबेलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग (4) जनरल अवेयरनेस (5) जन्मतिथि, अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता । उम्र भी यदि समान हो तो स्नातक के कुल अंको के आधार पर होगा ।

2.8 आबंटन/प्रवेश प्रक्रिया–

2.8.1 प्री एम.सी.ए. टेस्ट की योग्यता क्रम सूची के अनुसार उम्मीदवारों को परामर्श (काउंसिलिंग) द्वारा प्रवेश दिया जावेगा । काउंसिलिंग हेतु उपस्थित होने की तिथियां छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी । **अलग से बुलावा पत्र नही भेजा जाएगा ।**

काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थी स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिये । स्नातक अनुत्तीर्ण या पूरक (कम्पार्टमेंट) अभ्यर्थी काउंसिलिंग के पात्र नहीं होगे ।

वर्ष 2010 से ऑन लाइन काउंसिलिंग करने का प्रस्ताव विचाराधीन है, यदि ऑन लाइन काउंसिलिंग कराने का निर्णय लिया जाता है तो उस स्थिति में ऑन लाइन काउंसिलिंग की संपूर्ण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी यथा समय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी । कृपया समाचार पत्रों का अवलोकन करते रहें ।

2.8.2 काउंसिलिंग हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को काउंसिलिंग फार्म–9 पूर्ण कर तथा उसमें उल्लेखित सभी आवश्यक मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज तथा प्रत्येक की एक फोटो प्रति सहित तथा फीस की अग्रिम राशि के भुगतान के रूप में 10000/– रुपये (दस हजार) का *चालान* संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़ के नाम से भारतीय स्टेट बैंक के खाता क्रमांक 31077008342 में जमा कर चालान की स्लिप साथ में लाना अनिवार्य है । देश के किसी भी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में यह चालान जमा किया जा सकता है । चालान केवल भारतीय स्टेट बैंक में जमा किया जाना है, अन्य बैंक का चालान मान्य नहीं होगा । चालान का फार्म इस पुस्तिका के अंत में दिया हुआ है ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये अग्रिम फीस – छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के अभ्यर्थियों जिनके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र है, को चालान जमा करने की आवश्यकता नहीं है । तथापि संस्थाओं में शिक्षण शुल्क देय होगी एवं आय के अनुसार रियायत मिलेगी/शिक्षण शुल्क में छूट रहेगी । इस विषय में आदिम जाति कल्याण विभाग के नियम बंधनकारी होंगे ।

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये अग्रिम फीस –अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता, पिता, अभिभावकों की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रु. 25,000.00 या उससे कम हो, इस आशय का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में प्रवेश लेने की स्थिति में रु. 10,000.00 का चालान जमा करना अनिवार्य नहीं है । परन्तु निजी संस्थाओं में प्रवेश लेने पर रू. 10,000.00 का चालान जमा करना आवश्यक होगा ।

प्रवेशित संस्था द्वारा ऐसे छात्रों की शिक्षण शुल्क की वापसी हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग को छात्रों से प्राप्त आवेदनों के प्रस्ताव भेजे जायेगें । आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आय प्रमाण पत्रों की जांच उपरांत शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है ।

टीप :– क्योंकि छात्र को यह मालूम नहीं रहता कि उसे विश्वविद्यालयीन संस्था में प्रवेश मिल सकता है या नहीं । अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को सलाह दी जाती है कि जिनकी आय रू. 25,000/– से कम हैं वे भी रू. 10,000/– का चालान जमा करके आयें । यदि उनका प्रवेश विश्वविद्यालयीन संस्था में होता है तो उन्हें यह राशि चेक द्वारा वापस कर दी जायेगी ।

बी.पी.एल. के लिये अग्रिम फीस –बी.पी.एल. परिवार में आने वाले अभ्यर्थी को बी.पी.एल. कार्ड प्रस्तुत करने पर रू. 10,000/– का अग्रिम चालान जमा करने की आवश्यकता नहीं है परंतु इस वर्ग के छात्रों के लिये किसी प्रकार की फीस में छूट नहीं है । संस्था में प्रवेश के समय संपूर्ण फीस जमा करना होगा ।

2.8.3 काउंसिलिंग के दौरान प्रवेश की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को उनके योग्यताक्रमानुसार सीट/संस्था में प्रवेश की संभावनायें बताई जायेगी जिसका चयन वे उपलब्धता के आधार पर इच्छानुसार कर सकेंगे एवं तदनुसार आवंटन किया जावेगा । अभ्यर्थियों को प्रवेश की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए प्रवेश लेना होगा । फीस की शेष राशि अभ्यर्थी को प्रवेशित संस्था में जमा करने पर ही प्रवेश सम्पन्न माना जावेगा । संस्था में मूल प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जाना है । निर्धारित तिथि तक प्रवेश नहीं लेने पर आबंटन स्वमेव निरस्त माना जायेगा ।

2.8.4 यदि अभ्यर्थी काउंसिलिंग हेतु उपस्थित होने में असमर्थ रहता है या काउंसिलिंग के समय आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो वह अपनी योग्यताक्रमानुसार संस्था के चयन का अवसर खो देगा तथा बाद में परामर्श की अवधि के दौरान उपस्थित होने पर उसे प्रवेश देने के संबंध में विचार किया जा सकेगा । ऐसी स्थिति में जिस दिन भी वह उपस्थित होगा उसे उस दिन उपलब्ध सीट/संस्था में ही प्रवेश देने के संबंध में विचार किया जा सकेगा । यदि अभ्यर्थी काउंसिलिंग की अंतिम तिथि के दिन भी उपस्थित नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह किसी भी सीट/संस्था में प्रवेश लेने का इच्छुक नहीं है और इस प्रकार वह अपने प्रवेश का अधिकार खो देगा । प्रथम काउंसिलिंग के पश्चात यदि द्वितीय एवं उसके पश्चात भी काउंसिलिंग कराई जाती है तब पूर्व में कराई गई काउंसिलिंग में अनुपस्थित, प्रवेश हेतु अनिच्छुक छात्र भी काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं ।

2.8.5 **गंभीर बीमारीः**–यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने के कारण नियत तिथि पर उपस्थित रहने में असमर्थ है और वे इस आशय का चिकित्सा प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन से प्राप्त कर प्रस्तुत करते है, तो उनके पिता/अभिभावक जिन्हें अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत किया है, उसके स्थान पर *काउंसिलिंग* में सम्मिलित हो सकेंगे । ऐसे अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश लेने के उपरांत यदि दस्तावेजों के प्रवेशित संस्था के स्तर पर सत्यापन के समय यदि यह पाया जाता है कि उसके द्वारा गलत जानकारी दी गई है तो उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा और संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही के लिए विभाग सक्षम होगा ।

2.8.6 प्री.एम.सी.ए. परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो अनारक्षित प्रवर्ग की योग्यताक्रम सूची में स्थान प्राप्त करेंगे उनकी गणना अनारक्षित प्रवर्ग में की जाएगी । ऐसे अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार अनारक्षित प्रवर्ग अथवा संबंधित आरक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत उपलब्ध संस्था का चयन प्रावीण्यता के आधार पर कर सकेंगे ।

टिप्पणी (अ) अनारक्षित प्रवर्ग की योग्यताक्रम सूची से तात्पर्य ऐसी सूची से होगा जिसमें सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या उन सभी सीटों के अंतर्गत अनारक्षित प्रवर्ग की सीटों की संख्या के योग के बराबर होगी, जिनमें विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान है ।

(ब) जिन सीटों में किसी आरक्षित प्रवर्ग/वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान नहीं है उन सीटों के विरुद्ध प्रवेश हेतु उस आरक्षित प्रवर्ग/वर्ग के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित प्रवर्ग/बिना वर्ग में की जाकर उन्हें प्रावीण्यता के आधार पर अनारक्षित प्रवर्ग/बिना वर्ग के अंतर्गत प्रवेश दिया जा सकेगा ।

2.8.7 (अ) किसी भी आरक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत निःशक्तता से बाधित वर्ग में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को उसी आरक्षित प्रवर्ग के बिना वर्ग (X) में परिवर्तित कर भरा जाएगा । परंतु अनारक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत निःशक्तता से बाधित वर्ग के लिये आरक्षित सीट को मेरिट के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के आने वाले निःशक्तता से बाधित वर्ग के अभ्यर्थी को भी आबंटन किया जायेगा ।

(ब) किसी भी प्रवर्ग के अंतर्गत बिना वर्ग में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को निम्नानुसार अन्य प्रवर्ग में परिवर्तित कर भरा जाएगा ।

अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग (ST) के लिये आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जाति (SC) के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति (SC) के लिये आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति (ST) के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। इन दोनों प्रवर्गों के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन प्रवर्गों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। जब इन तीनों प्रवर्गों के अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थान अनारक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे ।

2.8.8 <u>एक बार अभ्यर्थी *काउंसिलिंग* के माध्यम से किसी पाठ्यक्रम/संस्था में</u> आबंटन प्राप्त कर लेता है अथवा <u>प्रवेश ले लेता है तो बाद में उसे पाठ्यक्रम/संस्था में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी</u> ।

2.8.9 प्रथम वर्ष में चूंकि प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम से होता है अतः प्रथम वर्ष में स्थानांतरण का प्रावधान नहीं है

2.8.10 छात्र द्वारा आबंटन/प्रवेश निरस्त कराने पर फीस वापसी के नियम –

1. काउंसिलिंग के दौरान अपना आबंटन/प्रवेश रद्द करवाने पर रू. 1000/– की कटौती (संचालनालय द्वारा) के पश्चात् रू. 9,000/– की वापसी चेक द्वारा की जायेगी । जिन अभ्यर्थियों ने (बैज्ध्व्ठ) रू. 10,000/– के चालान जमा नहीं किये हैं उनको आबंटन निरस्त करने के शुल्क के रूप में रू. 1000/– का चालान ''संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़'' के नाम से भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जमा करना पड़ेगा ।

2. काउंसिलिंग द्वारा आबंटन के पश्चात् यदि अभ्यर्थी संस्था में प्रवेश नहीं लेता है तो भी उससे उपरोक्त बिन्दु – 1 के समान ही कटौती की जायेगी ।

3. काउंसिलिंग द्वारा आबंटन के पश्चात् यदि अभ्यर्थी संस्था में प्रवेश प्राप्त कर लेता है एवं उसके पश्चात् अपना प्रवेश निरस्त कराता है तो उससे रू. 1,000/– की कटौती संचालनालय द्वारा तथा प्रवेश तिथि से निरस्त की तिथि तक शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क तथा विकास शुल्क (Tuition & Other Fees and Development Fees) की आनुपातिक राशि की कटौती संस्था द्वारा की जायेगी एवं शेष राशि अभ्यर्थी को संस्था द्वारा वापस की जायेगी । कॉशन मनी पूरी वापस की जायेगी । आनुपातिक का अर्थ है संबंधित विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेण्डर द्वारा निर्धारित किसी शैक्षणिक सत्र/सेमेस्टर के कुल दिनों के लिये फीस मानी जायेगी एवं तद्नुसार छात्र के प्रवेशित तिथि से लेकर प्रवेश निरस्त करने की तिथि को प्रति दिवस फीस से गुणा करके कटौती की जायेगी (Deductable Fees = No. of admitted days * Total fees/ No. of days of Semester as declared by University) ।

4. प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर फीस वापसी फीस विनियामक समिति/राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार की जायेगी ।

   काउंसिलिंग के दौरान अभ्यर्थी काउंसलिंग में पुनः सम्मिलित होना चाहता है तब उसे पूर्व की संस्था से प्रवेश निरस्त कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं रूपये 10,000.00 का चालान पुनः जमा करने पर ही पुनः काउंसिलिंग में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकेगी एवं जिस दिन ऐसा अभ्यर्थी काउंसिलिंग में आबंटन हेतु उपस्थित होता है उसे उस दिन की मेरिट सूचि एवं स्थान उपलब्धता के आधार पर आबंटन दिया जा सकेगा ।

2.9 **संचालनालय/संस्था द्वारा आबंटन/प्रवेश निरस्त करना**—यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है, या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया गया कि उम्मीदवार को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है तो उम्मीदवार को दिया गया प्रवेश संस्था प्रमुख द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान तुरंत बिना किसी सूचना के रद्द किया जा सकेगा । प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संचालक, तकनीकी शिक्षा, रायपुर द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा ।

2.10 अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर छत्तीसगढ़ राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा

2.11 छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा ।

2.12 **शिक्षण शुल्क**— छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008 के अंतर्गत गठित की गई प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा सत्र 2010—11 की फीस की निर्धारण की प्रक्रिया जारी है । समिति द्वारा अंतिम फीस निर्धारण के पश्चात् शासन द्वारा अंतिम फीस की आदेश जारी की जायेगी तद्नुसार फीस देय होगा । जैसे ही इस संबंध में शासन द्वारा आदेश जारी किया जायेगा इसकी जानकारी वेबसाइट में उपलब्ध करा दी जायेगी ।

2.13 **काउंसिलिंग शुल्क**— संचालनालय द्वारा आयोजित कांउसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने के इच्छुक संस्थाओं को इस हेतु निर्धारित शुल्क रूपये 500.00 (पांच सौ रूपये मात्र) प्रतिछात्र की दर से काउंसलिंग हेतु उपलब्ध सीटों पर देय होगा ।

2.14 **रैगिंग—**

2.14.1 रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है । इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ''छत्तीसगढ़ **शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिशेध अधिनियम 2001**'' जारी किया है । जो राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उनसे संबंधित मामलों और आनुषंगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम है । इस अधिनियम का मुख्य—मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :—

2.14.2 ''रैंगिग'' परिभाषा:— रैगिंग से अभिप्रेत है किसी छात्र को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो या किसी विधिपूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना, आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, या उसे क्षति पहुॅचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध,दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना ।

2.14.3 रैगिंग का प्रतिशेध :— किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा ।

दण्ड :—यदि कोई व्यक्ति रैंगिग के प्रतिशेध के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिये दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी या जुर्माने से जो 5 हजार रूपये से अधिक नहीं होगी या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा ।

2.14.4 अपराधों का विचारण :— इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

2.14.5 छात्र के निष्कासन के लिये निर्योग्यता :— इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को

निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा ।

किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा ।

ऐसा छात्र जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, को किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

2.15 **संस्थाओं के संबंध में अत्यावश्यक/आवश्यक जानकारियॉं–**

अभ्यर्थी काउंसिलिंग आरंभ होने से पूर्व ही कालेजों से संबंधित आवश्यक जानकारियां जैसे कि संस्था की जिला मुख्यालय से दूरी, परिवहन की सुविधा, शिक्षक एवं अन्य स्टाफ की जानकारी, संस्था का भवन एवं प्रायोगिक सुविधाऐं अनिवार्य फीस, काशनमनी आदि प्राप्त कर लें, संस्था के संबंध में पर्याप्त जानकारी न होने के आधार पर किसी प्रकार का आक्षेप मंजूर नहीं किया जायेगा । छात्रों एवं अभिभावको की सुविधा हेतु इस पुस्तिका में संस्थाओं के नाम, पते फोन नंबर, वेबसाइट आदि की जानकारी दी जा रही है ।

सत्र 2010–2011

तालिका–1

विभिन्न संस्थानों में एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों का विवरण

क्र.	संस्था का नाम	C.G. Quota	O.S. Quota	Mngt. Quota	कुल
1.	स्कूल ऑफ स्टडीज इन कम्प्यूटर साइंस, पं. रविशंकर वि.वि. रायपुर	54	06	0	60
2.	भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, भिलाई हाउस, दुर्ग	45	6	9	60
3.	दिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एंड टेक्नालॉजी, रायपुर	45	6	9	60
4.	रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रायपुर	45	6	9	60
5.	आर.एस.आर. रूंगटा ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी, भिलाई	45	6	9	60
6.	रूंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी, भिलाई	45	6	9	60
7.	स्कूल ऑफ कम्प्यूटर साइंस, चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज, बिलासपुर	34	4	7	45
8.	स्कूल ऑफ आई.टी., मैट्स यूनिवर्सिटी, आरंग, रायपुर	45	6	9	60
9.	श्री शंकराचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी, भिलाई	90	12	18	120
10.	श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, भिलाई	45	6	9	60

टीप :– स.क्र. – 1 स्कूल ऑफ स्टडीज इन कम्प्यूटर साइंस, रायपुर पं. रविशंकर वि.वि. रायपुर से संबंद्ध (affiliated) है ।
स.क्र. – 8 स्कूल ऑफ आई.टी., मैट्स यूनिवर्सिटी, आरंग मैट्स यूनिवर्सिटी, आरंग, रायपुर से संबंद्ध (affiliated) है । शेष सभी संस्थायें की संबंद्धता (affiliation) छ.ग. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (CSVTU), भिलाई से है ।

तालिका–2

विश्वविद्यालयीन संस्थान (SOS.Pt. R.S.U.Raipur, पंडित रविशंकर शुक्ल विवि, रायपुर)के एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आरक्षित सीटों का विवरण

क्र.	संस्था का नाम	कुल सीट	छत्तीसगढ़ कोटा												अन्य राज्य कोटा
			UR			SC			ST			OBC			UR
			F	X	H	F	X	H	F	X	H	F	X	H	
1-	SOS.Pt. R.S.U. Raipur.	60	8	18	1	2	6	0	3	8	0	2	6	0	06

संक्षेपाक्षरों के विस्तारित नाम

UR - Un reserved SC - Scheduled Caste ST - Scheduled tribe
OBC - Other Backward Category (Excluding Creamy layer)
F - Female, Reserved for female Candidates only
X - Without Class
H - Handicap (Person with Disability)

टिप्पणी :–

1. वर्ष 2010–11 में नई एम.सी.ए. संस्थायें संभावित ।
2. सीटों में तथा सीटों के प्रकार में परिवर्तन संभावित ।
3. संस्थाओं में प्रवेश अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की अनुमति तथा छ.ग. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय से संबंद्धता के उपरांत ही दिया जा सकेगा ।
4. सीटों की संख्या में परिवर्तन का अधिकार राज्य शासन के पास सुरक्षित है तथा उसमें आरक्षण भी तत्समय लागू नियमों के अनुसार होगें ।

अध्याय – 2 (ब)

महाविद्यालय में प्रवेश परामर्श (*काउंसिलिंग*) के समय प्रस्तुत किये जाने वाले मूल/प्रमाण पत्र दस्तावेजों की सूची :–

परामर्श (*काउंसिलिंग)* हेतु बुलाए गए अभ्यर्थियों को *काउंसिलिंग* फार्म तथा निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज एवं उनकी एक–एक अभिप्रमाणित प्रति परामर्श समिति के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। ऐसा न करने पर वे इस नियम पुस्तिका के नियम के अनुसार योग्यताक्रमानुसार संस्था के चयन का अवसर खो देगा ।

सभी प्रवर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाणपत्र/दस्तावेज

1. छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा जारी की गई प्री.एम.सी.ए. 2010 की अंक सूची ।
2. अर्हकारी परीक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त 10वीं, 12वीं एवं स्नातक की अंक सूची ।
3. पासपोर्ट साइज फोटो की एक प्रति ।
4. निर्धारित प्रारूप में 9 में काउंसिलिंग फार्म
5. रू.10000/– अग्रिम फीस जमा करने की चालान की DTE एवं COLLEGE की प्रति (नियम 2.8.2 देखें)
6. इस पुस्तिका के नियम 2.6.2 में उल्लेखित स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र कलेक्टर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में लाना अनिवार्य है ।

क्र	स्थानीय निवासी संबंधी आवश्यकता	प्रारूप जिसमें प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है
1	अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है ।	प्रारूप – 3
2	छत्तीसगढ़ शासन अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धशासकीय निकायों व छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासनों के कार्मिकों अथवा सेवानिवृत्त कार्मिकों जिनके गृह जिला छत्तीसगढ़ में है संबंधी प्रमाण–पत्र ।	प्रारूप – 4
3	यदि उम्मीदवार आवेदन पत्र की अंतिम तिथि को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक छत्तीसगढ़ में पदस्थ केन्द्रीय शासन के कर्मचारी अथवा सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है ।	प्रारूप – 5
4	यदि अभ्यर्थी किसी ऐसे व्यक्ति का/की संतान है जो केन्द्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के तहत छत्तीसगढ़ में स्थाई रूप से बस गया है ।	प्रारूप – 6

नोट – <u>प्रारूप नियम पुस्तिका के अंत में दिये गये हैं, वहां देखें</u> ।

7. आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अतिरिक्त प्रमाण पत्र निम्नानुसार होंगे ।

   (अ) छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए **स्थायी जाति प्रमाणपत्र–** प्रारूप–1 में (अस्थायी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जायेगा) ।

(ब) छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ा वर्ग (*क्रीमीलेयर* को छोड़कर) का होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया **स्थायी जाति प्रमाणपत्र –** प्रारूप – 2 में (अस्थायी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जायेगा) ।

(स) छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये उच्च स्तरीय छानबीन समिति, कार्यालय आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर रायपुर से जारी किया गया जाति सत्यापन प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में

8. निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाली अतिरिक्त प्रमाण पत्र निम्नानुसार होगा :–

1. जिला चिकित्सा मंडल का प्रमाण पत्र ।
2. अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजनों हेतु व्यावसायिक पुर्नवास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र ।

निम्न दस्तावेजों को काउंसिलिंग के समय लाने की आवश्यकता नहीं हैं, परंतु संस्था में प्रवेश के समय इनकी आवश्यकता होगी –

1. कक्षा 11वीं से अब तक अभ्यर्थी के अध्ययन में यदि कोई व्यवधान हो तो तत्संबंधी कारण बताते हुए न्यायालय का शपथ पत्र जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि उसने किसी संस्था में प्रवेश नहीं लिया तथा किसी गैर कानूनी गतिविधियों में भाग नहीं लिया (गेप सर्टिफिकेट)।
2. अभी तक जिस संस्था में पढ़ रहे थे उसके प्राचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जिसमें यह उल्लेख भी हो कि अभ्यर्थी उक्त संस्था में कब से कब तक अध्ययनरत रहा है ।

टीप :–

1. संस्था में प्रवेश लेते समय मूल प्रमाण पत्र जमा नहीं करना है । मूल प्रमाण पत्र को केवल जांच हेतु दिखाया जा सकता है ।
2. संस्था में लागू फीस में से अग्रिम फीस के रूप में जमा किये गये रू. 10,000/– की चालान की राशि को घटाकर शेष राशि जमा की जानी है ।

अध्याय 3 **प्रमाण पत्रों के प्रारूप**

प्रारूप – 1

(नियम 2.3.1)

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग .... जिला .... छत्तीसगढ़

पुस्तक क्रमांक ....

प्रमाण पत्र क्रमांक .... प्रकरण क्रमांक ....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ....पिता/पति का नाम .... निवासी ग्राम/नगर ....पटवारी हल्का नं. .... वि.खं. .... तहसील ....जिला .... संभाग .... जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति /जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह .... जाति/जनजाति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक .... पर अंकित है अतः श्री/सुश्री ....पिता/पति का नाम .... अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री .... के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये .... है ।

दिनांक– ....

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम सील

टिप्पणी

1. अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जनजाति
2. केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ. अनुविभागीय अधिकारी उप संभागीय मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहद्/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना ।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जाये, न कि अभ्यर्थी के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर ।

प्रारूप 2

छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी *लेयर* को छोड़ कर) प्रवर्ग
के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले प्रमाण पत्र
(नियम 2.3.1)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण

अनुभाग .... जिला .... छत्तीसगढ़
पुस्तक क्रमांक ....
प्रमाण पत्र क्रमांक ....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....आत्मज श्री .... निवासी ग्राम ....जिला संभाग .... छत्तीसगढ़ के निवासी है, जो ....जाति के हैं, जिसे पिछडा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ़ आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछडा– वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5/25/4/84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।

श्री .... और/या उनका परिवार सामान्यतः छत्तीसगढ़ के जिला .... संभाग .... में निवास करता है व छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक .... को प्रवजन कर चुका है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.. *क्रीमी लेयर* (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्णो की प्रवर्ग में नहीं आते है, जिनका उल्लेख भारत सरकार, कर्मियों एवं प्रशिक्षण के परिपत्र क्रमांक 360/2122/93/स्था.(एस. सी.टी.)दिनांक 8–9–93 द्वारा जारी सूची में कालम –3 में तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7–26/93/1 आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट ई की अनुसूची के कालम (3)में किया गया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री ....के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये .... है ।

दिनांक ....

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम सील

प्रारूप 3

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
(नियम 2.6.2)

क्रमांक .... दिनांक.......................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ....

आत्मज/आत्मजा/पत्नी ....निवासी..

तहसील .... व जिला.................... छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है, क्योंकि वह

1/ निम्नलिखित चार में से किसी एक कण्डिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति करता है :–

1. वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है ।

2. (क) वह,

अथवा

(ख) उसके पालकों में से कोई –

अथवा

(ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैद्य अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है ।

3. उसके पालकों में से कोई भी :–

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्ति कर्मचारी है

अथवा

(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत है,

4. (क) वह स्वयं

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षो से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं । **परंतु उपरोक्त के अतिरिक्त** निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति भी करता है ।

5. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है ।

6. उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों

अर्थातः–

(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की एम.सी.ए. या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8 वीं कक्षा की परीक्षा.

(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटर मीडिएट, हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा.

(ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा,

2/ उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगेः—

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

(ग) छत्तीसगढ़ में संवैधानिक या अन्य विधिक ˆ;जंजनजवतलद्ध पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

(घ) राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी, उनकी पत्नी/पति अथवा संतान ।

3/ उपरोक्त मापदण्डों के अनुरूप जो व्यक्ति स्थानीय निवासी माना जायेगा, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे ।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

....

पदनाम एवं सील

प्रारूप –4

छत्तीसगढ़ शासन अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धशासकीय निकायों व छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासनों के कार्मिकों संबंधी प्रमाण–पत्र
(नियम 2.6.2)

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..(अभ्यर्थी का नाम) जो एम.सी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश का / की अभ्यर्थी है श्री/सुश्री... (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) का की/संतान है,

(क) जो छत्तीसगढ़ शासन के ....विभाग में.............................पद पर........................... तिथि से पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कार्मिक हैं ।

अथवा

(ख) जो छत्तीसगढ़ शासन के ....विभाग में ....पद पर पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कार्मिक थे और...तिथि से इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए ।

स्थान.............................

दिनांक..........................

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष के
हस्ताक्षर, नाम एवं पदमुद्रा

प्रारूप–5

भारत सरकार अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों / अर्धशासकीय निकायों के छत्तीसगढ़ में पदस्थ
कार्मिकों के स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र
(नियम 2.6.2)

संदर्भ क्रमॉक.................................... दिनॉक..............................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..(अभ्यर्थी का नाम) जो एम.सी.ए. प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है, श्री/सुश्री... (अभ्यर्थी के पिता /माता का नाम) का / की / संतान है, जो......................तिथि से छत्तीसगढ़ में स्थित इस कार्यालय.. ....स्थान...जिला..में.. पद पर पदस्थ हैं जो भारत सरकार के...विभाग...

अथवा

भारत सरकार के ....सार्वजनिक उपक्रम

अथवा

भारत सरकार के ....अर्धशासकीय निकाय का / की कार्मिक है ।

स्थान..

दिनॉक...

....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर, नाम एवं पदमुद्रा

प्रारूप 6

छत्तीसगढ़ में पुनर्वास स्थापन संबंधी प्रमाण पत्र

(नियम 2.6.2)

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक..................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री...जो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा संचालित Pre-MCA .2010...............................वर्ष........... के आधार पर एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है। श्री/सुश्री ....का/की/संतान है, जो...............................योजना के तहत छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन/छत्तीसगढ़ द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना है ।

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर

कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट

प्रारूप–7

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित की संतान हेतु प्रमाण पत्र
(नियम 2.3.3)

संदर्भ क्रमॉक..................... दिनॉक..................................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री...(अभ्यर्थी का नाम) जो एम.सी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश के अभ्यर्थी है श्री/सुश्री.. (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) की संतान है जो जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित हैं ।

स्थान..

दिनॉक..

....
(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

प्रारूप–8

छत्तीसगढ़ के कार्मिक जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई हो की संतान हेतु प्रमाण पत्र
(नियम 2.3.3)

संदर्भ क्रमॉक................................... दिनॉक......................प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री...(अभ्यर्थी का नाम) जो एम.सी.ए. प्रथम वर्ष में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित अभ्यर्थियों की स्थानों के विरूद्व प्रवेश का अभ्यर्थी है, के पिता/माता श्री/सुश्री.. छत्तीसगढ़ के कार्मिक हैं जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु पदस्थ हैं जिनकी पदस्थापना दिनॉक.......................................से दिनॉक........................तक ....(स्थान का नाम) जिला...में रही है ।

स्थान..

दिनॉक..

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
शासन में विभागाध्यक्ष
अधिकारी के हस्ताक्षर,
पद एवं विभाग का नाम

प्रारूप–9

प्री.एम.सी.ए. टेस्ट 2010 *काउंसेलिंग* फार्म (अभ्यर्थी द्वारा स्वयं भरा जाये)

पासपोर्ट साइज फोटो चिपकायें

1. प्री.एम.सी.ए.टेस्ट 2010 रोल नंबर...
2. प्री.एम.सी.ए. का ओवर ऑल मेरिट .... कुल प्राप्तांक ....
3. प्रवर्ग अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग
4. वर्ग निःशक्तजन
5. पुरुष/स्त्री (जो लागू न हो उसे काट दें)
6. पूरा नाम .... पिता का नाम ....
7. जन्म तिथि ....
8. पूरा पता ....

   ....

   दूरभाष कोड नं.(...............)टेलीफोन नं...मोबाईल नं..
9. उत्तीर्ण की गई अर्हकारी परीक्षा स्नातक परीक्षा/अन्य समकक्ष परीक्षा का विवरण
   (अ) परीक्षा का नाम .... उत्तीर्ण करने का वर्ष ....
   (ब) संस्था का नाम ....
10. क्या आप नियम 2.6.2 के तहत छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं? ....
11. क्या आपने निम्न मूल प्रमाण–पत्र संलग्न किया है? (हां या नहीं में उत्तर अंकित करें)
    1. प्री.एम.सी.ए. टेस्ट 2010 की अंकसूची ....
    2. अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची ....
    3. जन्म तिथि हेतु 10 वीं की अंकसूची ....
    4. आरक्षित प्रवर्ग (SC/ST/OBC)हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र ....
    5. आरक्षित वर्ग (Handicap)हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र ....
    6. जाति सत्यापन प्रमाण पत्र ....
    7. नियम 2.6.2 के तहत छत्तीसगढ़ के निवासी संबंधी प्रमाण पत्र ....
    8. रू. 10,000/– की बैंक चालान की संस्था एवं संचालनालय की प्रति ....

9. निम्नलिखित तालिका में अभ्यर्थी अपने पिछले पांच वर्षो के अध्ययन की जानकारी देवें ।

क्रमांक	वर्ष	संस्था का नाम	शहर	राज्य	कक्षा	बोर्ड का नाम	परिणाम
1	2005–06						
2	2006–07						
3	2007–08						
4	2008–09						
5	2009–10						

10. फीस की अग्रिम राशि के रूप में अभ्यर्थी द्वारा संलग्न किए गए बैंक चालान का विवरण जो ''संचालक, तकनीकी शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर'' के भारतीय स्टेट बैंक के खाता क्रमांक 31077008342 में जमा किया गया है ।
    1. चालान की राशि रू. 10,000/– रु. (दस हजार) ।
    2. चालान जमा करने का दिनांक ....
    3. बैंक की ब्रांच का नाम जिसमें जमा किया गया है ....

(चालान भारतीय स्टेट बैंक के देश में स्थित किसी भी ब्रांच में जमा किया जा सकता है, अन्य बैंक में जमा नहीं करना है । चालान का फार्म इस पुस्तिका के अंत में दिया हुआ है ।)

:: छात्र की घोषणा ::

मुझे यह स्वीकार है कि मेरे गलत जानकारी प्रस्तुत करने अथवा आवश्यक महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने के फलस्वरूप यदि मैं किसी पाठ्यक्रम/संस्था/ब्रांच में प्रवेश पाने में सफल हो जाता/जाती हूं अथवा बाद में किसी भी समय यह पाया जाता है कि मुझे किसी त्रुटिवश प्रवेश दिया गया है तो मेरा प्रवेश तत्काल प्रभाव से बिना किसी सूचना के मेरे अध्ययनकाल के दौरान किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगा ।

....

पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर   अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु

1. अभ्यर्थी निम्नलिखित कारणों से प्रवेश हेतु पात्र है/ पात्र नहीं है ।
—————————————————————————————————

सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं नाम व पद

Name & Address of M.C.A. Institutions with Phone No.

S.N.	Name of Institutes	Phone No.	Fax No.	Website	E-mail
1	School of Study in computer Science, Pt. Ravishankar University, Raipur	0771-2262605	2262605	Rsu.ac.in	
2	Bhilai Institute of Technology, Bhilai House , Durg	0788-2323997, 2321163	2210163	Bitdurg.org	bit@bitdurg.org
3	Disha Institute of Management & Technology, Satya Vihar, Nardaha, Raipur	0771-4200100	4200110	Dimatindia.com	info@dimatindia.co
4	Raipur Institute of Technology, Chhatona, Mandir Hasaud, Raipur	0771-3208842, 3250790	2537634	Rit.edu.in	info@rit.edu.in
5	RSR, Rungta College of Engineering & Technology, Kohka Road, kurud, Bhilai				
6	Rungta College of Engineering & Technology, Kohka Road, kurud, Bhilai	0788-2286476, 77, 78, 79	2286480	Rungta.org	
7	School of Computer Science, Choukse Engineering College, Lal Khadan, Masturi Road, Bilaspur	07752-302100, 302105	302101	Cecbilaspur.ac.in	info@cecbilaspur.ac.in
8	School of IT, MATS University, Arang, Raipur	0771-4078995, 96	4078997	Matsuniversity.ac.in	vcrks@rediffmail.com
9	Shri Shankaracharya College of Engineering & Technology, Junwani, Bhilai	0788-2291606	2291622	Sscet.ac.in	sscet@yahoo.co.in
10	Shri Shankaracharya Mahavidyalaya, Bhilai	0788-2291621	2291622	Sges.org.in	